कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के आयोजन की तिथि 25 जनवरी,2024 घोषित की जा चुकी है। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्णतया शुचितापूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पादित हो सके। इस हेतु समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उनके द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों के जो विवरण अपलोड कराये गये हैं उनकी एक बार पुनः पूरी सतर्कता एवं गहनता से जांच कर लें। विशेषकर शिक्षकों की अर्हता, एवं हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के जिस विषय के अध्यापन हेतु उनकी नियुक्ति की गयी है उस विषय का विषय कोड एवं विषय के नाम की सावधानीपूर्वक जांच कर ली जाय। जिससे कोई भी शिक्षक किसी गलत विषय में परीक्षक नियुक्त न हो सके और न ही कोई अनर्ह शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो सके। यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में एक शिक्षक का विवरण एक से अधिक विद्यालयों से अग्रसारित न होने पाये। आप द्वारा पोर्टल पर अपलोड करायी गयी त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर यदि कोई अनर्ह/अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो जाता है तो इसके लिए सम्बन्धित प्रधानाचार्य उत्तरदायी माने जायेंगे।

विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों के विवरणों को संशोधित/अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट दिनांक 23–11–2023 से दिनांक 05–12–2023 तक क्रियाशील रहेगी।

(दिव्य कान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 437(1-10   दिनांक: 22 नवम्बर,2023

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2– विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
5– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
7– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें तथा इसका सतत् अनुश्रवण करते रहें।
10– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें।

(दिव्य कान्त शुक्ल)
सचिव।